

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम जोधपुर
(प्रथम)
नरेंद्र वर्मा वनाम श्रीमती पावती वर्मा
किस मुकदमा राजत्व अपील नं. 20/2022 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
12 ⁰⁹ 2022	<p>पत्तावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु पर प्रस्तुत हुई।</p> <p>1. लोक अदालत अध्यक्ष :- श्री टी रय सन्ना (सेवानिवृत्त जिला न्यायालय जोधपुर महानगर)</p> <p>2. लोक अदालत सदस्य :- श्री मदनलाल नेहरा (अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर)</p> <p>अपीलाधीन मय अदिवक्ता उपस्थित। रिपोर्टर स. 1 से 6 की ओर से अदिवक्ता श्री मुमम राठौड़ ने दफालनामा पेश किया जो शामिल पत्तावली किता। अपीलाधीन एवं रिपोर्ट स. 1 से 6 लोक अदालत की भावना से भाषणी सहकारि व राजीनामा से किसे जोमे काकर अपील का निर्णय उररे का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। राजीनामा परफुट सुनाया व सप्रमाण गया। पक्षकारान का राजीनामा स्वीकार किया गया। अदिनिर्णय अलग से लिखाया जाऊट शामिल पत्तावली किता गयी। अपीलाधीन आदेश एक आशय नउ निरस्त किया जाता है कि ख. न. 485/1 रकम 2500 बीघा मूक्ति के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06-1-1986 एवं स्वीहना नामा. ल. 670 समी- पक्षकार स्वीकार उररे हो कबति दयादत रखा जाता हो ख. न. 86 रकम 48.8 बीघा काकर अपीलाधीन अदिन 6-1-86 निरस्त किता जाता हो तथा नामा. ल. 670 इत उररे की स्वीहना नउ निरस्त किता जाता हो तदस्वीलकार जोधपुर को निर्णय ही उररे मय मूल नामाकर उरण सूचनावक एवं आदेशक प्राकिसी हुनु उचित हो।</p>	<p><u>Danku</u></p> <p><u>Souresh</u></p> <p><u>वसुधा</u></p> <p><u>हेमराज</u></p> <p><u>मगराज</u></p> <p><u>श्री</u></p> <p><u>पावती</u></p> <p><u>Nareet</u></p> <p><u>Subhan</u></p> <p><u>वसुधा</u></p> <p><u>Subhan Kallora</u></p>



**राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के
तत्वाधान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत
(अन्तर्गत धारा 19, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)**

दिनांक 12-03-2022

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

याची/वादी/परिवादी का नाम : नरेन्द्र पुत्र दौसतराम जाति माली

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का नाम : श्रीमती पार्वती जगं कालाराम जाति माली

न्यायालय/प्राधिकरण की कार्यवाही संख्या : राजस्व अपील स. 20/2022

ऋण खाता संख्या (यदि लागू हो तो) :

लोक अदालत अध्यक्ष का नाम : श्री टी एच सम्मा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (जोधपुर महानगर)

सदस्यों का नाम 1. : श्री मदनलाल नेहरा, अपर जिला कलक्टर (अणम) जोधपुर

2. :

-: अधिनिर्णय :-

दिनांक 12-03-2022

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण पर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि-

ग्राम पाला तहसील जोधपुर के ख.न. 86 रकबा 46.8 बीघा, खसरा न-485/1 रकबा 25-10 बीघा आरपी वटका आदेश दिनांक 06-1-1986 तहसीलकार जोधपुर द्वारा पारित किया गया, से निरस्त करवाने कावन राजस्व अपील स. 20/2022 में हुए लोक अदालत की जादना से आरपी लहमारी व राजीनामा दिये जाने से अपीलार्थी आदेश इस आशय तक निरस्त किया जाता है कि ख.न. 485/1 रकबा 25-10 बीघा आरपी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06-1-1986 एक लीहल नामान्तरकरण संख्या 670 लीहल हुआ लकी पत्रकार लीकार करने से अद्यतितपचार रखा जाता है ख.न. 86 रकबा 46.8 बीघा कावन अपीलार्थी आदेश दिनांक 06-1-86 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण स. 670 इस खसरे की लीगा तक निरस्त किया जाता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है पक्षकार अपना अपना खर्च वहन करें।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गयी है, तो, वह वापस की जाएगी।

हेनाराम Sowabh उमपती मजराय
हस्ताक्षर
(याची/वादी/परिवादी)

पार्वती
हस्ताक्षर
(प्रतिवादी/प्रत्यर्थी)

अध्यक्ष 12/3/2022
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर
Identified by [Signature]
(Mr. Shubham Rathore)